IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

Writ Petition No. 954 of 2006 (M/B)

Rajesh Chabra S/o Sri Vazar Chand Chabra,
R/o Rajesh Medical Store,
In front of CHC Hospital, Khatima,
District Udham Singh Nagar. …… Petitioner

Versus

1. State of Uttaranchal,
   through Home Secretary,
   Secretariat, Dehradun.
2. Senior Superintendent of Police
   District Udham Singh Nagar.
3. Station House Officer,
   Police Station Khatima,
   District Udham Singh Nagar.
4. Sri Pooran Lal Verma,
   Senior Sub Inspector,
   Police Station Khatima,
   District Udham Singh Nagar. …… Respondents

Mr. S.K. Mandal, Advocate for the petitioner.
Mr. D.K. Sharma, Government Advocate for respondents Nos. 1 to 3.

JUDGMENT

Coram: Hon'ble Rajeev Gupta, C.J.
Hon'ble Prafulla C. Pant, J.

RAJEEV GUPTA, C. J. (Oral)

Mr. S.K. Mandal, Advocate for the petitioner.

Mr. D.K. Sharma, Government Advocate for respondents Nos. 1 to 3.

They are heard on admission.

2. Petitioner Rajesh Chabra has filed this writ petition for the following reliefs:

> "I. Issue a writ order or direction in the nature of certiorari quashing the impugned First Information Report dated 27.7.2006 lodged by the respondent no. 4, which has been registered as Case Crime no. 2680 of 2006 U/s 384, 420, 500, 120-B IPC, Police-Station Khatima District – Udham Singh Nagar.
>
> II. Issue a suitable writ order or direction, which this Hon'ble Court may be deem fit and proper in the circumstances of the case.

III. Award the cost of the petition."

3. The petitioner is apprehending his arrest for his alleged involvement in Crime No. 2680 of 2006 registered at Police Station Khatima, District Udham Singh Nagar for the alleged commission of the offences punishable under Sections 384, 420 and 500 read with 120-B of the I.P.C.

4. Respondent No. 4 Sri Pooran Lal Verma, Senior Sub-Inspector, Police Station Khatima, lodged the First Information Report on 27.07.2006, which reads as follows:

"हस्ब आदे ा श्रीमान वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आज दि0 27.7.2006 को मैं एस.एस.आई पूरन लाल वर्मा व एस.ओ.जी. टीम प्रभारी एस.आई. श्री भारत सिंह का0 360 गोविन्द कुमार का0 675 राठिपाल का 046 जितेन्द्र कुमार व थाना खटीमा से का0 665 देवेन्द्र गोस्वामी के मय श्री तिलकराज गम्भीर पुत्र श्री रामचन्द्र गम्भीर निवासी गोविन्दपुर थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर मय सरकारी जिप्सी न0 यू0पी0 04बी 4004 चालक मनोहर कापडी व एस0ओ0जी0 मारूति वेन सरकारी के इस सूचना पर कि दीपक मुरारी ने तिलकराज गम्भीर से धमकी देकर व उत्पीड़न कर 20 हजार रूपये की मॉग की जा रही तथा खटीमा कस्बे में मेलाघाट रोड़ पर भांकर स्वीट में लाने को कहा जिस पर कार्यवाही हेतु थाने की सरकारी जिप्सी व 500 की मारूति मेन बाजार में ही छोड़कर श्री तिलक राज गम्भीर द्वारा 20 हजार रूपये देने में असमर्थता जाहिर करने पर 15,000/– पर बात तय हो गई श्री तिलक राज गम्भीर को 15,000 जिसमें 500/– के 11 नोट 100 के 43 नोट, व 50 के 104 नोट जिन पर क्षेत्राधिकारी महोदय श्री एस0एस0 राय के संक्षिप्त हस्ताक्षर मुक्त रूपये देकर दीपक मुरारी से मोबाइल पर वार्ता कराकर भांकर स्वीट हाउस मेलाघाट रोड़ जगह तह होने के बाद भेजा हम सभी पुलिस जन सादे कपड़ों में आस पास रहकर दीपकर मुरारी के आने का इन्तजार करने लगे दीपक मुरारी के आकर श्री तिलकराज में सिन्टू इलैक्ट्रोनिक की दुकान में ले गया और बातचीत करने लगा हम लोग भी आस पास रहकर देखते सुनते रहे व मोबाइल से रिकार्ड करते रहे। दुकान के अन्दर ही तिलकराज गम्भीर से 15,000/– हस्ताक्षरमुक्त लेकर गिनने लगा कि पूर्ण वि वास होने पर एक पारमी दबी ा देकर वही दुकान के अन्दर दीपक मुरारी को समय करीब 16.15 बजे मय 15,000/– हस्ताक्षर मुक्त से पकड़ लिया नाम पता पूछने पर अपना नाम दीपक मुरारी पुत्र ि ारोमणि मुरारी निवासी मेन बाजार लोहाघाट जनपद चम्पावत थाना खटीमा बताया उसकी तला ाी लेने पर हाथों से 15,000/– जिनमें हस्ताक्षर मुक्त 500/– के 11 नोट 100 43 नोट व 50 के 104 नोट एवं एक हेन्डीकैम कैमरा पैनासोनिक मोबाइल मॉडल न0 जी0

835 एक मोबाइल नोकिया 3310 जिसका न0 9412104786 बरामद हुआ कैमरा जिसमें वार्ता के दौरान दीपक मुरारी तिलकराज गम्भीर को उसकी आपत्ति जनक तस्वीरें होना बताता था एवं जिसमें एकत्र में उक्त रूपये की मॉग कर रहा था न देने पर धमकी दे रहा था और विभिन्न चैनलों पर प्रसारण कर देने की बात कर रहा था उक्त आपरे ान के दौरान उसकी वीडियो एवं आडियो रिकार्डिग मोबाइल कैमरा के माध्यम से की गयी जो मोबाइल एवं कैमरा में है पकड़े गये दीपक मुरारी मॉफी मॉगते हुये कहा मैं चैनल 7 का इलैक्ट्रोनिक मीडिया का संवाददाता हूॅ मैंने पैसों का लालच में श्री तिलकराज गम्भीर जो 15,000/– रू0 की मॉगे थे न देने पर उनकी आपत्तिजनक तस्वीर विभिन्न चैनलों में देने की धमकी व गम्भीर परिणाम की धमकी दी थी ये मेरे दबाव में आ गये 5,000/– देने को तैयार हो गये कैमरा उनको डराने के लिये लाया था यह कैमरा मुझे इस अवैद्य कार्य करने के लिये राके ा छाबड़ा निवासी खटीमा ने दिया था दीपक मुरारी से संवाददाता होने का परिचय पत्र मॉगने पर पे ा नहीं कर सका। अभियुक्तों का यह कार्य अन्तर्गत धारा 384, 420, 500, 120–बी आइ0पी0सी का दण्डनीय है कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत में लिया गया। बरामद रूपये 15,000/– एक अलग कपड़े में सर्वमोहर किया नमूने मोहर तैयार किये गये फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर गवाही हमराही बनायी जा रही है। बाजार में मौजूद लोगों से इस प्रकरण की गवाही के लिये कहा लोगों ने आपसी रंजि ा हो जाने से मना कर दिया मौके से चले गये गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के घर पर उचित माध्यम से दी जायगी। ह0 पूरनलाल वर्मा एस0एस0आई0 27.7.2006 ह0 अंग्रेजी में अपठित ह0 देवेन्द्र गोस्वामी ह0 जितेन्द्र कुमार

नोटः फर्द की नकल दीपक मुरारी उपरोक्त को दी गई ह0 पूरनलाल वर्मा एस0एस0आई0 27.7.2006 दीपक मुरारी उपरोक्त ने अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। ह0 पूरनलाल वर्मा एस0एस0आई 27.7.2006।

नोटः– मैं एच0सी0 68 का0 नैनराम वि वकर्मा प्रमाणित करता हूॅ तक फर्द की नकल चिक हाजा पर भाब्द व भाब्द अंकित की गयी है। फर्द की ..... एफ0आई0आर है।"

5. Petitioner Rajesh Chabra is alleged to have conspired with his co-accused Deepak Murari to blackmail one Tilak Raj Gambhir with a view to extract a sum of Rs. 20,000/- from him.

6. On due consideration of the submissions of the learned counsel for the parties; the contents of the above-quoted First Information Report and the serious nature of the allegations against the petitioner and his co-accused Deepak Murari who has already been arrested by the police, we are of the opinion that it is not a fit case for grant of any of the reliefs sought by the petitioner in the writ petition.

7. The writ petition, therefore, fails and is hereby dismissed summarily.

8. Consequently, CLMA No. 10031 of 2006 also stands dismissed.

(Prafulla C.Pant, J.) **(Rajeev Gupta, C. J.)**
08.08.2006 08.08.2006

G